

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1523/2011/बांसवाड़ा.

मेरे अनुपम कृषि यंत्रालय, बांसवाड़ा.अपीलार्थी.
बनाम

सह एक आयुक्त, वाणिज्यिक कर बांसवाड़ा.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उर्त अथतः :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/02/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 21/आरएसटी/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.05.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्ति प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आत्म, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-बांसवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2005-06 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अनियम' कहा जायेगा) की धारा 30 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.3.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2005-06 के अन्तिम कर योग्य स्टॉक में रूपये 2,69,723/- को कर योग्य एवं उण्ट में दर्शाया गया था, जबकि आलौच्य अवधि वर्ष 2005-06 के प्रारम्भिक स्टॉक में उक्त कर योग्य माल को कर चुके एकाउण्ट में दर्शाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के उक्त कृत्य को करापवंचन की मंशा से कि जाना मानते हुए, अधिनियम की धारा 30 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2010 को पारित करते हुए विवादित राशि रूपये 2,69,723/- में प्रतिशत लाभांश जोड़ते हुए कुल राशि रूपये 2,96,723/- पर 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 11,868/-, ब्याज रूपये 7002/- एवं धारा 65 के तहत राशि रूपये 23,736/- कुल रूपये 42,606/- का आरोपण किया गया। अर्थात् व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2011 से अस्वीकार किये जाने से ब्यात होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

मनोहर पुरी

लगातार.....2

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि करनि रिण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश दिनांक 30.03.2010 पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई हेतु कोई नोटिस तामील नहीं करवाया गया। ऐसी स्थिति में विवादित आदेश प्रथम दृष्ट्या विधिविरुद्ध है। जबकि कोई भी आदेश पत किये जाने से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता आवश्यक है। अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त विधिक स्थिति को न रखन्दाज करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने में त्रुटी की है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 30 टैक्स अपडेट 9 मैसर्स प्रिंस स्टोन के नी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा एवं (1993) 13 अटी.जे.एस. 260 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा बनाम मैर्स बिरधी लाल बंशीधर, कोटा को उद्धरित करते हुए व्यवहारी की अपील स्वार किये जाने को अनुरोध किया गया।
5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से कर योग्य माल को कचुके एकाउपट में दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार विवादित राशि पर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण हेतु नोटिस अपीलार्थी को तामील करवाने के उपरान्त आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क उचित नहीं है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उक्त कथन के साथ उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने के नेवेदन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश दिनांक 30.03.2010 पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस दिनांक 24.06.2009 सुनवाई दिक्त 20.07.2009 जारी किया गया है, जो 'पीती' नामक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है। द्वितीय नोटिस दिनांक 10.03.2010 सुनवाई दिनांक 25.03.2010 जारी किया गया है, उक्त नोटिस भी 'पीती' नामक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है।

मिठाई

ग. है। किन्तु उक्त 'पीती' कौन है तथा इसका अपीलार्थी फर्म से क्या सम्बन्ध है, तर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि उक्त नोटिस अपीलार्थी पर तामील हुए हों। अतः प्रधा दृष्टया यही माना जा सकता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित अवश्य पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि गत वर्ष की अन्तिम स्तर 5 की कर योग्य राशि रूपये 2,69,723/-, आलौच्य अवधि के कर चुके एवं उण्ट में अंकित कर दी गई। अतः उक्त राशि पर देय कर व ब्याज का आपापण नियमानुसार किया गया है, जिसकी देयता अपीलार्थी की बनती है। अतः कर व ब्याज के आरोपण की सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में इसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, साथ ही इस सीमा तक अपीलीय अधिकारी के आदेश भी उचित है।

9. जहाँ तक अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 23,36/- का प्रश्न है, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर आरोपित किये जाने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर रूपये 11,868/- एवं ब्याज रूपये 7002/- की पुष्टि की जाती है तथा धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 23,736/- अपास्त की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

मानोहर पुरी
(मनोहर पुरी)
सदस्य